राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 211/2009/कोटा.

सहायक आयुक्त,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स लार्सन एण्ड ट्यूब्रो लिमिटेड, तलवंडी, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री पारस पाटनी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08/10/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 4/ई.टी./2007–08/माल पर प्रवेश कर में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.10.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–प्रतिकरापवंचन–प्रथम, कोटा द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 के लिये राजस्थान राज्य में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 06.06.2007 को अपास्त करते हुए प्रकरण नियमित कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. उक्त प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील संख्या 4/ई.टी./2007–08/माल पर प्रवेश कर में दिये गये निर्णय दिनांक 15.10.2008 की पालना में वाणिज्यिक कर अधिकारी, संकर्म संविदा एवं पट्टा कर, कोटा द्वारा दिनांक 09.03.2010 को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो गयी है। इसी सम्बन्ध में पूर्व में ही कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 2373/2008/कोटा में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को भी दिनांक 14.12.2017 के आदेश से निष्प्रभावी हो जाने के आधार पर खारिज किया जा चुका है, फलतः इसी प्रकरण में राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को भी निष्प्रभावी होने के आधार पर खारिज किया जाता है।

4. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य